Annexure-II

Form-I

(for linear Projects)

Government of India

Office of the District Collection Mirzapur.

No. 1243/D.L.R.C./F.No-44/मिर्ज़ापुर Date 05.03.16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government if India's latter No. 11-9/98-FC (pt) date 3rd August, 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Trides and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, it is certified that 8.3581 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Welspul Energy UP Pvt. Ltd. (name of user agency) for water pipeline corridor & approach road (purpose for diversion of forest land) in Mirzapur district falls within jurisdiction of following Village (s).

Name of Gram Sabha	Name of Village	Forest Division	Tehsil	Forest land (in hectare)
Barkachha Khurd	Barkachha Khurd	Mirzapur	Sadar	0.0026
Barkachha Kalan	Barkachha Kalan	Mirzapur	Sadar	0.4829
Hadaura	Gortutawa	Vindham Fall	Marihan	0.4324
Danti	Danti	Marihan	Sadar	3.1043
Danti	Bela	Marihan	Sadar	1.0176
Danti	Dadari Gahira	Marihan	Sadar	1.6883
Darhiram	Dadari Khurd	Marihan	Sadar	1.6300
Total -				**8.3581**

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 8.3581 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s) Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-II to annexure-III.

(b) The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. : As above.

District : Social Welfare officer
Mirzapur
जिला समाज कल्याण अधिकारी
मीरजापुर

Signature
(Full name of Official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
मीरजापुर

जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 05.03.16 को वनअधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है,

उक्त बैठक मे वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरीखुर्द, तहसील सदर, जिला-मीरजापुर मे प्रस्तावित 1320(660×2)मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन एवं राज्य मार्ग 5 से परियोजना स्थल तक सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली 8.3581हे0 वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त ग्राम समितियों एवं उपखण्डस्तरीय समितियों की बैठक मे लिये गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वननिवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, कि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 को वाटर पाइप लाइन एवं राज्य मार्ग 5 से परियोजना स्थल तक सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु जनपद मीरजापुर में 8.3581हे0 वन भूमि को हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

जिलाधिकारी
मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

जिला पंचायत सदस्य

जिला पंचायत सदस्य

जिला पंचायत सदस्य

उप जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 4.03.2016 को वनअधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक मे वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरीखुर्द, तहसील सदर, जिला–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(660×2)मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना के लिए गंगानदी से परियोजना स्थल ग्राम ददरीखुर्द तक वाटर पाइप लाइन एवं राज्य मार्ग 5 से परियोजना स्थल तक सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली 7.9257हे0 वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम समिति बरकछा खुर्द, बरकछा कलॉ, दॉती (दॉती, बेला, ददरीनाहिरा) व ग्राम समिति [illegible] (ददरीखुर्द) की बैठक मे लिए गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वनवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि तहसील सदर के अन्तर्गत 7.9257 हेक्टेयर वन भूमि, वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 को वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

सहायक विकास अधिकारी (स0क0)
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)
वि0 ख0–सीटी, मीरजापुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

उप जिलाधिकारी
सदर मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

आनीता देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
दॉती

क्षेत्र पं0 [illegible] – [illegible] देवी

उप जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक [illegible] को वनअधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(Sub Divisional Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक मे वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरीखुर्द, तहसील सदर, जिला-मीरजापुर मे प्रस्तावित 1320(660X2)मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु हस्तान्तारित की जाने वाली 0.4324हे0 वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम समिति [illegible] (गोड़टुटवा) की बैठक मे लिए गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वनवासियों का कब्जा नही है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनार्विचार की आवश्यकता नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, कि तहसील मड़िहान के अन्तर्गत 0.4324हे0 वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु हस्तान्तारित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति अतः उक्त वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

सहायक विकास अधिकारी(स0क0)
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

उप जिलाधिकारी
सदर/मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

कार्यालय

ग्राम सभा–दाढ़ीराम, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर मे स्थित वन भूमि की आराजी सं0–31, 32 व 74 मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम ददरीखुर्द की आराजी नं0–31 मे क्षे0–1.0100हे0 आ0नं0–32 मे क्षे0–0.1700हे0 व आ0नं0–74 मे क्षे0–0.4500हे0 योग 3 गाटा रकबा 1.6300हे0 आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम सभा दाढ़ीराम द्वारा ग्राम सभा की बैठक मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

कार्यवाही रजिस्टर

रूप पत्र संख्या 8

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यो का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यों के ह० या अंगूठा निशान
1	2	3	4	5
	श्री फौजदार (प्रधान)		आज दिनांक 7-2-2016 को ग्राम पंचायत	फौजदार
			न दादेराम की [illegible] बैठक एवं सूचना के	
			अनुसार ग्राम प्रधान श्री फौजदार की	[illegible]
	लिजा देवी		अध्यक्षता में [illegible]	
			में 12 [illegible] बैठक [illegible]	
	संजु देवी		शुरू रखा [illegible]	संजू देवी
			[illegible]	
	राजेन्द्र प्रसाद		विषय पर विचार [illegible] गया —	राजेन्द्र प्रसाद
		①	[illegible]	
	लालचन्द		ग्राम पंचायत [illegible]	लालचन्द
			जना ने [illegible]	
	मन [illegible]		निर्माण हेतु [illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]
	अशोक कुमार		[illegible]	
			[illegible]	
	शकुन्तला		[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	[illegible]
	[illegible] देवी		[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
	सरिता		[illegible]	
			[illegible]	[illegible]
			[illegible]	
	कमलेश कुमार		[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
	आनन्द [illegible]		[illegible]	[illegible]
			[illegible]	
			[illegible]	
	मिश्री [illegible]		[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	
	राजेश कुमार		[illegible]	[illegible]

नोट :- प्रत्येक कार्यवाही पर प्रधान और सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

कार्यवाही रजिस्टर

रूप पत्र संख्या 8

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यो का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यो का ह० या अंगूठा निशान
1	2	3	4	5
	प्रधान		हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया। उपस्थित सदस्यों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उपस्थित सदस्यों द्वारा अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।	
			ग्राम पंचायत अधिकारी न्याय पं० ... वि० खं० पहाड़ी मीरजापुर	
			ग्राम विकास अधिकारी वि० खं० पहाड़ी, मीरजापुर	

कार्यालय

ग्राम सभा–दाँती, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम–ददरी गहिरा, तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं0–17, 155, 161, 162, 163, 166, 167, 168, मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 की तापीय विद्युत परियोजना स्थल ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर के लिए सम्पर्क सड़क एवं वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम ददरीगहिरा की आराजी नं0–17 मे क्षे0–0.0036हे0, आ0नं0–155 मे क्षे0–0.1345हे0, आ0नं0–161 मे क्षे0–0.0198हे0, आ0नं0–162 मे क्षे0–0.2049हे0, आ0नं0–163 मे क्षे0–0.0330हे0, आ0नं0–166 मे क्षे0–0.0016हे0, आ0नं0–167 मे क्षे0–0.0200हे0, आ0नं0–168 मे क्षे0–0.0059हे0, कुल योग 8 गाटा मे क्षे0–0.4233हे0 व सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु ग्राम ददरीगहिरा की आराजी नं0–17 मे क्षे0–0.0135हे0, आ0नं0–155 मे क्षे0–0.3310हे0, आ0नं0–161 मे क्षे0–0.0850हे0, आ0नं0–162 मे क्षे0–0.6180हे0, आ0नं0–163 मे क्षे0–0.1595हे0, आ0नं0–166 मे क्षे0–0.0180हे0, आ0नं0–167 मे क्षे0–0.0270हे0, आ0नं0–168 मे क्षे0–0.0130हे0 कुल योग 8 गाटा मे क्षे0–1.2650हे0 के निर्माण के लिए वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम सभा दाँती द्वारा ग्राम सभा की बैठक मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्राम ददरी गहिरा के ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को सम्पर्क सड़क एवं वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान–ग्राम पंचायत–दाँती
न्याय पं0–दाढ़ीराम
वि0 खं0–पहाड़ी (पड़री) मीरजापुर

ालिय–ग्राम पंचायत–दॉती तहसील–सदर जिला–मीरजापुर

प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

दिनांक– 03-01-2016

सभा बैठक–

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1–ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या– 2–बैठक मे उपस्थित सदस्यों की संख्या–	प्रस्ताव क्रमांक 03 चर्चा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरीखुर्द, तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर मे तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम सभा–दॉती के ग्राम–ददरी गहिरा, तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर की आराजी नं0–17, 155, 161, 162, 163, 166, 167 व 168 की आरक्षित वन भूमि को फारेस्ट राइट	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम–ददरी गहिरा, तप्पा–84, परगना–कंतित, हसील–सदर, जिला–मीरजापुर की आराजी नं0–17/0.0036हे0, आ0नं0–155/0.1345हे0, आ0नं0–161/0.0198हे0, आ0नं0–162/0.2094हे0, आ0नं0–163/0.0330हे0, आ0नं0–166/0.0016हे0, आ0नं0–167/0.0200हे0, आ0नं0–168/0.0059हे0 व आराजी नं0–17/0.0135हे0, आ0नं0–155/0.	पारित	1– प्रधान-ग्राम पंचा... न्याय पं0-दाढ़ी... (stamp, signature) 2– रामलखन 3– भोलचन्द 4– महेन्द्र 5– (thumb impression) 6–

	एक्ट(एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कब्जा/कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	3310हे0, आ0नं0–161/0.0850हे0, आ0नं0–162/0.6180हे0, आ0नं0–163/0.1595हे0, आ0नं0–166/0.0180हे0, आ0नं0–167/0.0270हे0, आ0नं0–168/0.0130हे0 वन भूमि मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं कब्जा नहीं है एवं फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।		7– अखिलेश कुमार पाल 8– जगावती 9– [signature] 10– [signature] 11–

[signature] प्रधान ग्राम [signature]

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत
न्याय पंचायत
[illegible] (छबी) सोनभद्र

कार्यालय

ग्राम सभा–दाँती, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम–बेला, तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं0–8, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 28, 30 व 30, 8, 7, 3 मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम बेला की आराजी नं0–8 मे क्षे0–0.0010हे0, आ0नं0–14 मे क्षे0–0.0077हे0, आ0नं0–15 मे 0.0069हे0, आ0नं0–16 मे 0.0259हे0, आ0नं0–20 मे क्षे0–0.0097हे0, आ0नं0–21 मे क्षे0–0.0481हे0, आ0नं0–26 मे क्षे0–0.0027हे0, आ0नं0–28 मे क्षे0–0.0045हे0 आ0नं0–30 मे क्षे0–0.2274हे0 **योग 9 गाटा मे क्षे0–0.3339हे0** व आ0नं0–30 मे क्षे0–0.5378हे0 आ0नं0–8 में क्षे0–0.0052हे0, आ0नं0–7 मे क्षे0–0.0013हे0, आ0नं0–3 मे क्षे0–0. 1394हे0 कुल योग 4 गाटा मे **क्षे0–0.6837** वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम सभा दाँती द्वारा ग्राम सभा की बैठक मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान–ग्राम पंचायत–दाँती
न्याय पं0–दाढ़ीराम
वि0 खं0–पहाड़ी जनपद मीरजापुर

लिय--ग्राम पंचायत--दॉंती तहसील--सदर जिला--मीरजापुर

प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

सभा बैठक--

दिनांक-- 3-01-2011

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1--ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या-- 2--बैठक मे उपस्थित सदस्यों की संख्या--	प्रस्ताव क्रमांक...03......चर्चा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम--ददरीखुर्द, तप्पा--84, परगना--कंतित, तहसील--सदर, जिला--मीरजापुर मे तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम सभा--दॉंती के ग्राम--बेला, तप्पा--84, परगना--कंतित, तहसील--सदर, जिला--मीरजापुर की आराजी नं0--8, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 28, 30 7, 3 की आरक्षित वन भूमि को फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि मे	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम--बेला तप्पा--84, परगना--कंतित, हसील--सदर, जिला--मीरजापुर की आराजी नं0--8/0.0010है0, आ0नं0--14/0.0077है0, आ0नं0--15/0.0069है0, आ0नं0--16/0.0259है0, आ0नं0--20/0.0097है0, आ0नं0--21/0.0481है0, आ0नं0--26/0.0027है0, आ0नं0--28/0.0045है0,	पारित	1-- [stamp: प्रधान-ग्राम पंचायत-दॉंती, न्याय पं0-दाबीराम, वि0 ख0-पहाड़ी (पड़री) मीरजापुर] [signature] 2-- [signature] 3-- [signature] 4-- [signature] 5-- [thumbprint] 6--

	आदिवासी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कब्जा/कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	आ0नं0-30/0.2274है0 व आराजी नं0-7/0.0013है0, आ0नं0-3/0.1394है0, आ0नं0-8/0.0052है0, आ0नं0-30/0.5378है0 वन भूमि मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं कब्जा नहीं है एवं फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।		7— अवधेश कुमार 8— जगाकली 9— [signature] 10— [signature] 11—

ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत [illegible]

कार्यालय

ग्राम सभा–दॉती, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम–दॉती, तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं0–2062, 2034, 2067, 2078, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2074 मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम दॉती की आराजी नं0–2062 मे क्षे0–0.2564हे0, आ0नं0–2034 मे क्षे0–0.2252हे0, आ0नं0–2067 मे 0.2082हे0, आ0नं0–2078 मे 0.4308हे0, आ0नं0–2085 मे क्षे0–0.2749हे0, आ0नं0–2086 मे क्षे0–0.0031हे0, आ0नं0–2087 मे क्षे0–0.0048हे0, आ0नं0–2088 मे क्षे0–0.0056हे0, आ0नं0–2089 मे क्षे0–0.3196हे0, आ0नं0–2074 मे क्षे0–0.0907 कुल योग 10 गाटा मे क्षे0–1.8193हे0 व सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु ग्राम दॉती की आराजी नं0–2089 मे क्षे0–1.0740हे0, आ0नं0–2074 मे क्षे0–0.1980हे0, आ0नं0–2088 मे क्षे0–0.0130हे0 कुल 3 गाटा मे क्षे0–1.2850हे0 वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम सभा दॉती द्वारा ग्राम सभा की बैठक मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान-ग्राम पचायत-दॉती
न्याय पं०-दाकीराम
सं०-सदरी (सदरी) मीरजापुर

लिय–ग्राम पंचायत–दॉती तहसील–सदर जिला–मीरजापुर

प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

सभा बैठक--

दिनांक-- 3-1-2016

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1–ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या– 2–बैठक मे उपस्थित सदस्यों की संख्या–	प्रस्ताव क्रमांक 03 चर्चा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरीखुर्द, तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर मे तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम सभा–दॉती के ग्राम–दॉती, तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर की आराजी नं0–2062, 2034, 2067, 2078, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089 व 2074 की आरक्षित वन भूमि को फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0) 2006 के	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम–दॉती तप्पा–84, परगना–कंतित, हसील–सदर, जिला–मीरजापुर की आराजी नं0–2062 / 0.2564हे0, आ0नं0–2034 / 0.2252हे0, आ0नं0–2067 / 0.2082हे0, आ0नं0–2078 / 0.4308हे0, आ0नं0–2085 / 0.2754हे0, आ0नं0–2086 / 0.0031हे0, आ0नं0–2087 / 0.0048हे0, आ0नं0–2088 / 0.0056हे0,	पारित	1– प्रधान–ग्राम पंचायत–दॉती न्याय पं0–चक्कीराम वि0 खं0–पहाड़ी (पड़री) मीरजापुर 2– 3– 4– 5– 6–

	तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कब्जा / कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	आ0नं0–2089 / 0.3196है0, आ0नं0–2074 / 0.0907है0 व आराजी नं0–2089 / 1.0740है0, आ0नं0–2074 / 0.1980है0 आ0नं0–2088 / 0.0130है0 वन भूमि मे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं कब्जा नहीं है एवं फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।		7– [signature] 8– [signature] 9– [signature] 10– [signature] 11–

[signatures]

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत
न्याय पंचायत
वि0 ख0 पहाड़ी (पहाड़ी) मीरजापुर

कार्यालय

ग्राम सभा–हड़ौरा, तहसील–मड़िहान, जनपद–मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम–गोड़टुटवा,(ग्राम सभा हड़ौरा) तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–मड़िहान, जिला–मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं0–80, 81, 104, 105, 171 मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए भूमिगत वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम गोड़टुटवा की आराजी नं0–80 मे क्षे0–0.0144हे0, आ0नं0–81 मे क्षे0–0.1040हे0, आ0नं0–104 मे क्षे0–0.0233हे0, आ0नं0–105 मे क्षे0–0.0102हे0, आ0नं0–171 मे क्षे0–0.2805हे0 कुल योग 5 गाटा रकबा 0.4324हे0 वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम सभा गोड़टुटवा द्वारा ग्राम सभा की बैठक मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत ... पटेहरा कलां, जिला–मीरजापुर

ग्राम विकास अधिकारी
पटेहरा कलां–मीरजापुर

ालय–ग्राम पंचायत–हड़ौरा   तहसील–मड़िहान   जिला–मीरजापुर

प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

दिनांक–

सभा बैठक–

	उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	1–ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या– 2–बैठक मे उपस्थित सदस्यों की संख्या–	प्रस्ताव क्रमांक..03......चर्चा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरीखुर्द, तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर मे तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम सभा–हड़ौरा के ग्राम–गोड़टुटवा तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–मड़िहान, जिला–मीरजापुर की आराजी नं0–80, 81, 104, 105, व 171 की आरक्षित वन भूमि को फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि मे	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम–गोड़टुटवा तप्पा–84, परगना–कंतित, हसील–मड़िहान, जिला–मीरजापुर की आराजी नं0–80/0.0144हे0 आ0नं0–81/0.1040हे0, आ0नं0–104/0.0233हे0, आ0नं0–105/0.0102हे0, आ0नं0–171/0.2805हे0 वन भूमि मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं	पारित	1– [signature] 2– [signature] 3– [signature] 4– [signature] 5– [signature] 6– [signature]

	आदिवासी / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कब्जा / कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	कब्जा नहीं है एवं फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।		7— [signature] 8— [signature] 9— [signature] 10— [signature] 11— [signature]

ग्राम विकास अधिकारी
पटेहरा ... मिर्जापुर

कार्यालय

ग्राम सभा–बरकछा कला, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम बरकछा कला, तप्पा--84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर मे स्थित वन भूमि की आराजी सं0–1177 व 1178 मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम बरकछा कलॉ की आराजी नं0–1177 मे क्षे0--0.2627 व आ0नं0--1178 मे 0.2202हे0 योग 2 गाटा रकबा 0.4829हे0 आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम सभा बरकछा कलॉ द्वारा ग्राम सभा की बैठक मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सचीत्
प्रधान–ग्राम पं0 बरकछा कला
न्याय पं0 बरकछा कला
वि0 खं0–सीटी, मीरजापुर

216

कार्यवाही रजिस्टर

प्रपत्र संख्या 8

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यो का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यो का ह० या अंगूठा निशान
1	2	3	आज दिनांक 22/01/2016 को पूर्व	5
22/01/16	(1) सुचीता (प्रधान)		सूचना अनुसार एक आवश्यक	सुचीता
	(2) किनवा (सदस्य)		बैठक पंचायत भवन बजेहा कला	(ग्रामप्रधान)
	(3) भगवती (")		पर समय 11:00 बजे दिन प्रधान	
	(4) शिवशंकर (")		श्रीमति सुचीता के अध्यक्षता में	
	(5) राधेश्याम (")		किया गया कोरम पूर्ण है।	सुचीता
	(6) गीता (")	1	पिछली बैठक को पढ़कर सुनाया	
	(7) मन्ता (")		गया सर्वसम्मति से पुष्टि की गई	
	(8) सुधीर (")	2-	चर्चा वेलस्पन एनर्जी प्रा० लि०	[illegible]
	(9) रामवती (")		द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तप्पा-[illegible] परगना	
	(10) पन्ना (")		कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर	
	(11) देवचरन (")		के समीप विद्युत परियोजना के लिए	
	(12) लल्लन (")		वाटर पम्प हाउस के निर्माण हेतु	[illegible]
	(13) महेन्द्र कुमार (")		ग्राम बजेहा कला तप्पा-[illegible] परगना	
	(14) अमरनाथ (")		कंतित तहसील सदर, जिला मीरजापुर	
			की आराजी नं० 1177 में हे० 0.2627	
			व आराजी नं० 1178 में 0.2202 हे० योग	
			2 गाटा रकबा 0.4829 हे० की आरक्षित	
			वन भूमि को फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०	
			आर० ए०) 2006 के तहत आवंटित	
			भूमि में आदिवासी अनुसूचित जाति/	
			अनुसूचित जन जाति का कब्जा/कृषि	देवचरन
			कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु	
			कब्जा है अथवा नहीं है पर विचार	
				महेन्द्र कुमार
			उपस्थित सदस्यो एवं ग्रामवासियों के	
			समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा	
			के दौरान यह निष्कर्ष निकला कि	[illegible]
			कि ग्राम बजेहा कला तप्पा-[illegible] परगना	
			कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर की	
			आराजी नं० 1177 में हे० 0.2627 एवं आ०	पिन्टू
			नं० 1178 में 0.2202 हे० योग 2 गाटा	
			रकबा 0.4829 हे० वन भूमि में अनुसूचित	
			जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी	
			व गैर आदिवासी का कोई कृषि एवं	[illegible]
			कब्जा नहीं है एवं फारेस्ट एक्ट फारेस्ट	

कार्यवाही रजिस्टर

रूप पत्र संख्या 8

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यो का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यो के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान
1	2	3	4	5
			यूईआर एक्ट (संशो० आदि० ०७) 2006 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी० प्रा० लि० द्वारा वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नही है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नही लाया गया अतः एव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है। [signature] ग्राम पंचायत अधिकारी ग्रा० पं० वि० खं० सीटी, मीरजापुर	[signature] [stamp: प्रधान ... वि० खं० ...]

ट :- प्रत्येक कार्यवाही पर प्रधान और सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

कार्यवाही रजिस्टर

रूप पत्र संख्या 8

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचों/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव सं०	की गई कार्यवाही	पंचों/सदस्यों ... व अंगूठा
1	2	3	4	5
18.1.016	1. [illegible]		आज दिनांक 18.1.2016 को पूर्व सूचना	
	2. [illegible]		अनुसार एक आवश्यक बैठक	
	3. [illegible]		पश्चात भगवान [illegible]	
	4. [illegible]		सभा [illegible]	
	5. [illegible] देवी		[illegible]	
	6. [illegible] देवी		[illegible]	
	7. [illegible]	1.	[illegible] गया	
	8. [illegible] देवी		[illegible]	
	9. [illegible]	2.	[illegible]	
	10. [illegible]		अधि० द्वारा ग्राम नैनसरखुर्द,	
	11. [illegible] कुमार		तप्पा - 84 परगाना कोलत	
	12. [illegible]		तहसील सदर जिला मीरजापुर	
	13. [illegible] देवी		के [illegible]	
			[illegible] वाटर पार्क [illegible] के	
			निर्माण हेतु ग्राम नैनसरखुर्द,	
			तप्पा 84 परगाना कोलत,	
			तहसील सदर जिला मीरजापुर	
			की आराजी नं० 577 को आरक्षित	
			वन भूमि को धारा 2 [illegible]	
			[illegible] 2006 के तहत	
			आरक्षित वन भूमि मे आदिवासी	
			अनुसूचित जाति / अनुसूचित	
			जनजाति का कब्जा / कृषि	
			कार्य आवास एवम अन्य	
			[illegible] के [illegible] नहीं	
			है पर विचार	
			उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों	
			[illegible] प्रस्तावित विषय पर	
			[illegible]	
			[illegible] निकला गया कि ग्राम	
			नैनसरखुर्द, तप्पा-84 परगना	
			कोलत, तहसील सदर जिला	
			मीरजापुर की आराजी नं० 577	

कार्यवाही रजिस्टर

रूप पत्र संख्या 8

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यो का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यो का ह० व अंगूठा निशान
1	2	3	4	5
			अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई क्लेम शेष बाकी नहीं है एवं फारेस्ट राइट एक्ट (रिकग्नाइज) २०.१.२००६ के अन्तर्गत प्रस्तावित सभी यूपी प्रा० लि० द्वारा पाइप लाइन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।	
			अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।	

सचिव
ग्राम पं० बरकछा
जि० ख० सीटी, मिर्जापुर

ग्राम प्रधान ग्राम पं० बरकछा
जि० ख० सीटी, मिर्जापुर

सचिव
ग्राम पं० बरकछा
जि० ख० सीटी, मिर्जापुर

कार्यालय

ग्राम सभा–बरकछा खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम बरकछा खुर्द तप्पा–84, परगना–कंतित, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर मे स्थित वन भूमि की आराजी सं0–577 क्षे0–0.0026हे0 मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम बरकछा खुर्द की आराजी नं0–577 मे क्षे0–0.0026हे0 आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम सभा बरकछा खुर्द द्वारा ग्राम सभा की बैठक मे वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा आवेदित वन भूमि के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की उक्त भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सचिव
ग्राम पं0 बरकछा खुर्द
वि0 ख0 सीटी, मिर्जापुर